प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर (चौकी एस.आई.डब्ल्यू.) वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..........08.../2022.......दिनांक.........12/1/22.........

2. (I) अधिनियम ... धारायें:– धारा 7 पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018
(II) अधिनियम ....धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....298 समय ....4.50 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार.....सोमवार.....दिनांक 10.01.2022 समय 2.55 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उत्तर दिशा में करीब 20 कि0मी0
(ब) पता........ रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा जयपुर।
.............................बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:– श्री विकेश सिंह चौहान ....
(ब) पिता/पति का नाम:– श्री मलखान सिंह
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............उम्र 38 साल..............................
(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय:–ठेकेदारी
(ल) पता:– ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह, जाति जाट, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम पोस्ट कांकडी कला तहसील मल्सिसर जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नं0 1098 फोर सी माचेडा नीयर गुडविल स्कूल लोहामण्डी जयपुर, हाल उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल चौकी कनकपुरा, उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 5000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 5000/–

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 06.01.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक एसआईडब्ल्यू भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री विकेश चौहान पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री विकेश चौहान को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईडब्लू, एसीबी जयपुर राजस्थान को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री विकेश चौहान ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मैं विकेश चौहान पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर का रहने वाला हूं एवं रेल्वे के शिव आकृति कम्पनी को सिग्नल का कॉन्ट्रेक्ट दिया है, मैं शिव आकृति कम्पनी का पेटी कॉन्ट्रेक्टर हूं। वर्तमान मे शिव आकृति कम्पनी के बिहाफ पर सिग्नल की केबिल डालने का काम बिन्दायका से धान्यका की तरफ कर रहा हूं, मैं दिनांक 28.11.2021 से कार्य कर रहा हूं दिनांक 22.12.2021 को नाली में दबी हुई और कुछ केबल ड्रम मैं रखी हुई चौरी हो गई थी। मैने कम्पनी को इसकी सूचना भी दे दी थी पर उन्होंने किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद मै लगातार कार्य करता रहा। उसके बाद दिनांक 30.12.2021 को फिर दो बार चौरी हो गई तो मैने कम्पनी को बताया तो भी उन्होंने किसी को बताने के लिए मना कर दिया पर मैं खुद चलाकर आरपीएफ में रिपोर्ट कराने चला गया, उन्होंने अगले दिन का नाम लेकर मुझे वापस भेज दिया कि हम खुद जगह पर आएंगे उससे दो दिन बाद मेरे से आगे कर रहे दुसरे ठेकेदार कि भी केबल चौरी हो गई तो कम्पनी और रेल्वे के अधिकारी और हम दोनों को बुलाकर एफआईआर करवाने गए तो आरपीएफ पुलिस ने हम ठेकेदारों को ही बोला कि तुमने ही चोरी करवाई है। कम्पनी और रेल्वे के अधिकारियों ने उक्त एफआईआर दर्ज कराई। इसके पश्चात आरपीएफ कनकपुरा के सब इन्सपेक्टर सुनिल